भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1243

(सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

कारपोरेट डेटा प्रबंधन पोर्टल का संचालन

1243. श्री किशोरी लालः

प्रो. सौगत रायः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा कारपोरेट सूचनाओं में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कारपोरेट डेटा प्रबंधन (सीडीएम) पोर्टल आरंभ किया गया है या इसे संचालित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पोर्टल के उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं;

(ग) जनता को उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित कारपोरेट डेटा की कौन कौन-सी श्रेणियां हैं; और

(घ) गोपनीय और संवेदनशील कारपोरेट जानकारी की सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया कारपोरेट डेटा प्रबंधन (सीडीएम) पब्लिक पोर्टल, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की साझा करने योग्य कारपोरेट सूचना के संरचित प्रसार के लिए मंत्रालय के समर्पित मंच के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल विदेशी कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) सहित एमसीए के साथ पंजीकृत कंपनियों से संबंधित अद्यतन और व्यापक जानकारी प्रदान करता है। सीडीएम डेटा बेस कंपनी अधिनियम के तहत की गई सांविधिक फाइलिंग के आधार पर भौगोलिक/क्षेत्रीय प्रसार, कारपोरेट पेशेवरों पर अंतर्दृष्टि, कारपोरेट सामाजिक दायित्व विवरण आदि प्रदान करता है। यह विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड और कारपोरेट आंकड़े भी प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और सुविज्ञ नीति निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

(घ): कारपोरेट सूचना का साझाकरण, प्रसंस्करण और प्रसार लागू कानूनों के तहत गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
